

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय कापरेटिव की बैठक सं० 26/2001 दिनांक 17-9-2001 को सायं 4.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

- 1- श्री अतुल शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
- 2- श्री हेमन्त मुरडिया, निदेशक आयोजना जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री पी.सी. बरडिया, निदेशक अभियांत्रिकी जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक कापरेटिव जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

- 1- श्री महावीर प्रसाद, उपायुक्त, जौन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
- 2- श्री वी.पी. सिंह, उपायुक्त, जौन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक कापरेटिव जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री तेजसिंह राठौड़, सहायक नगर नियोजक, बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री मुकेश मिस्तल, सहायक नगर नियोजक कापरेटिव जविप्रा, जयपुर ।

॥ 1 ॥ एजेण्डा आईटमस -

1.1- एजेण्डा सं० 26/2001-1 :- सन्तोष नगर एवं पदमावती कालोनी-द्वितीय के मध्य प्रस्तावित 160 फिट चौड़ी सड़क के क्रम में :-

जौन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त द्वारा बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि वर्तमान एवं प्रस्तावित अलायन्मेंट की लाईन फिक्स करने हेतु प्रशंगत 160 फिट चौड़ी रोड़ का पी.टी. सर्वे गोपालपुरा बाईपास से रेल नगर तक करवाया जाये ।

1.2- एजेण्डा सं० 26/2001-2 :- पार्क के लिए सड़क दिलाये जाने बाबत निर्माण नगर-सी :-

उपायुक्त, जौन बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया । जो सुविधा क्षेत्र अरविन्द गृ.नि.स. समिति की योजना शिव शक्ति नगर का त्रिकोना आकार का है एवं जो नक्कीवन गृ.नि.स. समिति की योजना निर्माण नगर-सी



के प्लॉट नंबर 492 से लगता हुआ है उसका कोई अन्य उपयोग नहीं है। अतः उसे प्लॉट नंबर 492 में जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार जोड़ने का निर्णय लिया गया और इस अतिरिक्त क्षेत्र की कीमत वर्तमान आरक्षित दर 1650.00 रु. प्रति वर्ग मीटर से दुगुनी अर्थात् 3300.00 रु. प्रति वर्ग मीटर वसूलने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही निर्माण नगर-सी के भूखण्ड सं० 502 के उत्तर में जो 18 फिट चौड़ा रास्ता मौके की स्थिति के अनुसार निर्माण नगर-सी विकास समिति के अनुरोध पर उपलब्ध किया गया है उसकी स्वीकृति प्रदान की गयी।

1.3- एजेण्डा सं० 26/2001- 3 :- अपोलो नगर हा.को. सोसायटी की योजना विधेसरिया नगर विस्तार के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक कांपरेटिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा क्लायो गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। अपोलो नगर हा.को. सोसायटी के पदाधिकारी श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल को भी सुना गया। बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

- 1- प्रस्तुत योजना मानचित्र के अनुसार योजना में आवासीय क्षेत्रफल 62.84% है जिसे 60% ही अनुमोदित किया गया। योजना में तदानुसार संशोधन कर दिया जाये।
- 2- पूर्व में लिये गये नीतिगत निर्णय के तहत नीय योजनाओं में व्यावसायिक क्षेत्र अधिकतम 2% ही अनुज्ञेय है। अतः इस योजना में प्रस्तावित व्यावसायिक उपयोग 2.14% के स्थान पर 2% ही अनुज्ञेय किया गया। तदानुसार योजना में संशोधन किया जाये।
- 3- योजना में त्रिवेणी नगर की ओर एक नाला है जिसे बारे में निर्णय लिया गया कि उपायुक्त, जोन बी-1, वरिष्ठ नगर नियोजक कांपरेटिव और जोनल अभियंता, बी-1 मौका देखकर तय करें कि नाले हेतु कितने फीट भूमि की आवश्यकता होगी और उतनी ही भूमि योजना में नाले हेतु आरक्षित कर दी जाये।
- 4- खसरा नं० 306 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं० 305 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं० 312 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, खसरा 307 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं० 308 रकबा 01 बिस्वा



खसरा नं० 309 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं० 310 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं० 311 रकबा 15 बिस्वा भूमि का भुगतान वाहे न हुआ हो परन्तु इसका कब्जा जविप्रा द्वारा लिया जा चुका है। अतः इस भूमि का नियमन आरक्षित दर के 25% की दर से किया जावे।

5- योजना को 2 ब्लॉक में विभक्त किया जावे। ब्लॉक "ए" में उन 56 भूखण्डों को रखा जावे जो कि सन् 1985 में ही अनुमोदित कर दिये गये थे और ब्लॉक "बी" में उन भूखण्डों को रखा जावे जो कि अब अनुमोदित किये जा रहे हैं। ब्लॉक "ए" के भूखण्डों से साधारण नियमन राशि ली जाए। ब्लॉक "बी" के लिए पैरा 4 में वर्णित भूमि और 4302 वर्ग मी. अतिरिक्त भूमि की आरक्षित दर को 25% राशि शामिल कर नियमन दर निकाली जाएगी।

1.4- एजेण्डा सं० 26/2001-4 :- इन्द्रा नगर गृ.नि.स. समिति की योजना सूर्य नगर टोंक रोड़ के खसरा नं० 361, 362, 363, 360/564 ग्राम-दुर्गापुरा की भूमि के योजना मानचित्र अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक काँपरेटिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाये कि क्या इस प्रस्तावित योजना की भूमि राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्ति/योजना की भूमि तो नहीं है? इस जानकारी के साथ प्रकरण समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाये।

1.5- एजेण्डा सं० 26/2001-5 :- सुविधा क्षेत्र को पार्क में घोषित करने बाबत पदमावती कॉलोनी-II :-

उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि पदमावती कॉलोनी -II के भूखण्ड सं० 60 से 76 के सामने उपलब्ध सम्पूर्ण फैसिलिटी क्षेत्र को पार्क के रूप में आरक्षित किया जाये।

1.6- एजेण्डा सं० 26/2001-6 :- वृन्दावन विहार योजना के भूखण्ड सं० 105 को पट्टा दिये जाने के संबंध में :-

उपायुक्त, जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-



विमर्श किया गया तथा यह तथ्य उभर कर आया कि शांति नगर योजना के सुविधा क्षेत्र में श्याम नगर थाने का निर्माण हो चुका है तथा इस थाने की बाउण्ड्री तथा इस बाउण्ड्री के उत्तर में वृन्दावन विहार योजना के भूखण्ड सं० 105 के मध्य 179.06 व. ग. अधिक भूमि उपलब्ध है जिस पर प्रार्थीयां श्री मंजू मिस्तल का कब्जा है। प्रार्थीयां के भूखण्ड एवं उत्तर दिशा में 40 फिट चौड़ी सड़क तक जो भूखण्ड सं० 104 से 99 स्थित है उनकी नापों में कोई विवाद नहीं है। अतः बाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया कि 179.06 व. ग. अधिक भूमि का भूखण्ड सं० 105 के भूखण्डधारी के हक में राज्य सरकार के प्रचलित आदेशों के अनुसार राशि लेकर नियमन कर दिया जाये और उसे भूखण्ड सं० 105 का भाग माना जाए।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।


सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय कांपरेटिव
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कांपरेटिव/2001/डी-936

दिनांक: 27.9.2001.

प्रतिलिपि:-

- 1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
- 3- निदेशक आ योजना विधि वित्त अभियांत्रिकी जविप्रा, जयपुर।
- 4- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जौन बी-1, बी-3, जविप्रा, जयपुर।
- 5- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव,

बीपीसी-11 कांपरेटिव